an>

Title: Need to protect the land of farmers in Himachal Pradesh from the menace of wild animals.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष कुछ मांग करना चाहता हूं। देश के अधिकांश प्रदेशों में जंगली जानवरों द्वारा आम जनमानस का जीना दूभर हो रहा है, खासकर किसानों का। हिमाचल प्रदेश भी इस परेशानी से जूझ रहा है। प्रदेश में जंगली जानवर, जिनमें सुअर, बंदर, नीलगाय आदि किसानों की फसलें तबाह करने में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की लगभग 85 प्रतिशत पंचायतें जंगली जानवरों के आंतक से परेशानी से जूझ रही हैं। किसानों ने खेतों में फसल बोना बंद कर दिया है, जिसके कारण उन्हें अपना जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो रहा है। जंगली जानवरों को मारना मना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत किसी भी जानवर को मारने पर पाबंदी है। आज तो स्थिति यह आ गयी है कि कोई किसी जानवर को मारते हुए पकड़ा जाए तो उसका बचना मुश्किल है जबकि किसी आदमी को मार दिया जाए तो वह बच सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां हिमाचल प्रदेश में किसान के पास एक ही विकल्प बचा हुआ है कि वह या तो अपनी जमीन को बंजर बना दे या फिर उसे बेचकर भूमिहीन बन जाए। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इस समस्या का समाधान कर किसानों को राहत पहुंचाई जाए। धन्यवाद।